



मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवां तल, लिली ट्रेडिंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) - 462008

क्रमांक- 4818/एमपीटीबी/प्रशासन/2021

भोपाल दिनांक- 13/08/2021

विज्ञापन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा म.प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेवल एण्ड टूरिज्म स्टडीज संस्थान के “संचालक” पद पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त व्यक्तियों से “म.प्र. सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम” अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्ते मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट www.tourism.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 01-09-2021 को शाम 04.00 बजे है।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड अंतर्गत विज्ञापित पदों के मापदंड / निर्देश

क्र.	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
1	संचालक, म.प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेवल एण्ड टूरिज्म स्टडीज संस्थान, भोपाल	01	1. पर्यटन अथवा पर्यटन संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की डिग्री।	1. 10 वर्ष का पी.एच.डी. उपाधि के बाद का किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय संलग्न महाविद्यालय में शिक्षक का अनुभव पाठ्यक्रम सुधार एवं शोध का अनुभव। जिसमें 05 वर्ष का रीडर अथवा समकक्ष अनुभव। जैसा कि यूजीसी के नियम अंतर्गत सीधे तौर पर नियुक्ति के विषय में निर्दिष्ट किया गया है जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (एपीआई) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीवीए एस) के अनुसार; अथवा 2. पर्यटन क्षेत्र का उत्कर्ष व्यवसायिक व्यक्ति जिसने पर्यटन क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो एवं सापेक्ष विषय में महत्वपूर्ण योगदान किया हो जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जा सके।

आवश्यक निर्देश :

- मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 लागू होंगे।
- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति जहाँ अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है वहाँ 65 वर्ष की आयु तक एवं जहाँ अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष है वहाँ 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।

3. संविदा नियुक्ति प्रथमबार में एक वर्ष के लिए की जाएगी। जिसे उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. सभी उम्मीदवारों को स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेगें।
6. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को वर्तमान वेतन से पेन्शन घटाकर वेतन प्रदाय किया जावेगा। निजी क्षेत्रों से आवेदन करने वाले आवेदकों को उनकी वर्तमान परिलक्षियों को आधार मानते हुये नीति अनुसार निर्णय कर उनके वेतन का निर्धारण किया जावेगा।
7. अवकाश एवं यात्रा भत्ते की पात्रता अस्थाई शासकीय सेवकों के समान होगी।
8. नियुक्त संचालक पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
9. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिये आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
10. केवल चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. पदों की संख्या में कमी/बढ़ोत्तरी करने का अंतिम अधिकार, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पास सुरक्षित होगा।
12. चयनित उम्मीदवार से नियुक्ति के पश्चात् दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग को बिना कोई कारण बताए आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

आदेशानुसार

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक सह प्रमुख सचिव, पर्यटन
मध्यप्रदेश ट्रिप्रेज बोर्ड,
लिली ट्रेड विंग छठवाँ तल, जहांगीराबाद
भोपाल (म.प्र.)- 462008

पासपोर्ट साइज का
स्वहस्ताक्षरित फोटो
चस्पा करें

- 1- आवेदित पद का नाम-
- 2- विज्ञापन क्रमांक -

अभ्यर्थी का नाम	पिता पति का/ नाम	जन्म तिथि (DDMMYY) शब्दों एवं अंकों में	31-12- 2020 को आयु (YYMMDD)	जातिवर्ग अज/अजा) /अपिव/जा सामान्य	सेवानिवृत्ति की तिथि यदि हो तो (DDMMYY)	मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पत्र व्यवहार का पता						
(8)						

शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उपाधि का नाम	अध्ययन का विषय	श्रेणी	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	अन्य उपलब्धियों का विवरण
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

कार्यानुभव					
क्र.	संस्थाकार्यालय/ का नाम	पद	अवधि से तक	अनुभव वर्षमाह/	अनुभव का कार्यक्षेत्र
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

यदि वर्तमान में हो तो सेवा का नाम	शासकीय स्वयत्तशासी/अशासकीय/	वर्तमान अथवा अंतिम वेतन(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(22)	(23)	(24)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम

घोषणा-पत्र

मैं.....शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश ट्रिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम

संलग्न दस्तावेज -

1. हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
2. स्नातक / स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
3. पी.एच.डी. प्रमाणपत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. शासकीय कार्यालयों / निजी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।
6. शासकीय सेवानिवृति की स्थिति में सेवानिवृति संबंधी दस्तावेज।
7. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र।